राजकीय महाविद्यालय मंगलौर, हरिद्वार

शैक्षिक सत्र 2022—23

विवरणिका PROSPECTUS

शैक्षिक कैलेण्डर सत्र 2022–23

1	शैक्षिक सत्र प्रारम्भ –	दिनांक 10–07–2022
2	ऑनलाइन प्रवेश आवेदन प्रारम्भ की तिथि –	दिनांक 10–07–2022
3	बी0 ए0 प्रथम वर्ष में प्रवेश फार्म की हार्ड कापी जमा करने की तिथि –	दिनांक 10–07–2022 से
4	बी0 ए0 प्रथम वर्ष में प्रवेश प्रारम्भ की तिथि –	दिनांक 25–07–2022
5	बी0 ए0 द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में प्रवेश की तिथि –	परीक्षा परिणाम घोषित होने के 20 दिन के अन्दर
6	बी0 ए0 प्रथम वर्ष में प्रवेश की अंतिम तिथि –	वि0वि0 द्वारा निर्धारित तिथि के अनुसार
7	ऑनलाइन परीक्षा फार्म भरने की तिथि –	वि0वि0 के निर्देशानुसार

महाविद्यालय का उद्भव एवं विकास

राजकीय महाविद्यालय मंगलौर (हरिद्वार) की स्थापना शासनादेश संख्या 833 (1) XXIV (7)22014–11(6)13 दिनांक 4मार्च 2014 को कुल 17 पदों के सृजन के साथ हुई तथा छह विषयों हिंदी, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, इतिहास, राजनीति विज्ञान एवं समाजशास्त्र में 15 छात्रों के साथ बी0 ए0 प्रथम वर्ष, की कक्षाएं मंगलौर के मानक चौक स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय नंबर 7 के परिसर में प्रारंभ हुई। शासन से स्वीकृति के साथ 2016 से संगीत विषय भी प्रारंभ हुआ महाविद्यालय में अब तक कला स्नातक के छः बैच उत्तीर्ण हो चुके हैं। सत्र 2014–15 में छात्र संख्या 15, 2015– 16 में 105, 2016–17 में 200, 2017–18 में 287, 2018–19 में 312, 2019–20 में 299, 2020–21 में 294 एवं 2021–22 में 410 थी। महाविद्यालय का भवन रुड़की मंगलौर के मध्य दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 58 पर मुख्याली दुन्दी नामक स्थान पर स्थित है। 01नवम्बर 2019 से महाविद्यालय अपने भवन में संचालित हो रहा है। महाविद्यालय में सत्र 2018–19 से उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय का अध्ययन केंद्र संचालित हो रहा है।

प्रवेश संबंधी आवश्यक निर्देश

प्रवेश हेतु ओदन करने के लिये महाविद्यालय की वेबसाइट gdc manglore.in पर जाकर online admission 2022-23 पर क्लिक कर सर्वप्रथम अपना पंजीकरण करवा कर आगे की प्रक्रिया पूरी कर प्रवेश आवेदन करें अधिक जानकारी के लिये admission Notice जो इसी वेबसाइट पर अपलोड है को पढ़ें।

1. विषयों का चयन करते समय अभ्यर्थी पहले प्रवेश नियमावली को अच्छी तरह से पढ़ एवं समझ ले ।
2. बीए प्रथम में प्रवेश हेतु सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को मान्य परीक्षा में 40% सहित उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। एस0सी0 / एस0टी0 के अभ्यर्थियों के लिए प्रवेश में 5% अंकों की छूट होगी।

3. प्रवेश हेतु आवेदन पत्र के साथ टी0सी0, चरित्र प्रमाण पत्र की मूल प्रति संलग्न करना आवश्यक है।
4. प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को स्वयं मूल प्रमाण पत्रों सहित उपस्थित होना अनिवार्य है। आवेदन के साथ अंक तालिकाएं, प्रमाण पत्र व अन्य प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियां लगाई जानी आवश्यक है। जाति प्रमाणपत्र, मूल निवास व आय प्रमाणपत्र भी साथ संलग्न करें।
5. आवेदन पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साइज के रंगीन फोटोग्राफ चस्पा करें, कम्प्यूटराइज फोटो मान्य नहीं होगा।
6. प्रवेश आवेदन पत्र निर्धारित तिथि तक जमा करें, उसके बाद प्रवेश दिया जाना संभव नहीं होगा। बी0ए0 प्रथम में मैरिट के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा।
7. एक बार प्रवेश मिलने पर विषय परिवर्तन नहीं होगा विषयों का चयन विश्वविद्यालय प्रवेश नियमावली के अनुसार एवं काउंसलिंग कमेटी द्वारा निर्धारित मानकों के आधार पर किया जाएगा।
8. वार्षिक शुल्क जमा करने के उपरांत ही प्रवेश मान्य होगा। निर्धारित तिथि के पश्चात कोई शुल्क जमा नहीं होगा। समय से शुल्क जमा ना करने पर प्रवेश स्वतः निरस्त हो जाएगा।
9. महाविद्यालय प्राचार्य एवं चयन समिति को बिना कारण बताए प्रवेश न देने/ निरस्त करने का अधिकार होगा।
10. अपूर्ण आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा जैसे अंक पत्र, टी0सी0, सी0सी0के अभाव में।
11. एस0सी0/एस0टी0/ओबीसी/विकलांग आदि आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी को निर्धारित समय पर जिला अधिकारी/उप जिला अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
12. युद्ध वीरगति प्राप्त सैनिकों के आश्रितों के पुत्र,पुत्री, भाई–बहन को स्नातक स्तर पर सभी अभ्यर्थियों को नियमानुसार प्रवेश दिया जाएगा।
13. छात्र संघ चुनाव शासनादेश सं0231/स्तर–1–15–1211/94 दिनांक 21–01–2000 तथा शासनादेश संख्या 548/उच्च शिक्षा/2002–2003 (168) 2001 तद्नुसार डिग्री प्लान/3699–3476/2002–03 दिनांक 18 सितंबर 2002 एवं प्रवेश समिति द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार सम्पन्न होंगे।
14. निर्धारित नियमानुसार सक्षम अधिकारियों द्वारा अभ्यार्थियों के सत्यापित प्रमाण पत्रों पर ही प्रवेश समिति द्वारा विचार किया जाएगा।
15. सभी छात्र/छात्राओं को परीक्षा फॉर्म स्वयं ऑनलाइन भरना है जो छात्र/छात्राएं अपना परीक्षा फॉर्म नहीं भरेंगे उन्हें परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा साथ ही महाविद्यालय से पृथक कर दिया जाएगा।
16. छात्र द्वारा विषय वरीयता के आधार पर भरे जाएंगे। विषयों में सीट पूरी हो जाने पर आवेदकों को अपने विषय परिवर्तित करने पड़ सकते हैं।
17. संगीत विषय में 60 सीट एवं अन्य विषयों में प्रति विषय 120 सीट निर्धारित है, यह संख्या किसी भी स्थिति में परिवर्तित नहीं होगी इसके अतिरिक्त 10 प्रतिशत सीट EWS हेतु आरक्षित है।
18. महाविद्यालय छात्र संघ चुनाव वे ही छात्र–छात्राएं लड़ सकते हैं जिन्होंने महाविद्यालय में एक शैक्षिक सत्र पूर्ण कर लिया हो। बी0ए0 प्रथम एवं स्थानांतरण पर प्रवेश पाने वाले छात्र/छात्राएं प्रवेश वर्ष में चुनाव नहीं लड़ सकते। छात्रसंघ निर्वाचन लिंगदोह समिति के दिशा निर्देशों के अनुसार ही संपन्न होगा

प्रवेश संबंधी नियम

1. कक्षा में प्रवेश हेतु प्राचार्य प्रवेश समिति गठित करेंगें। प्रवेश समिति द्वारा आवंटित विषयों में कोई परिवर्तन सम्भव नहीं होगा।
2. राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय से 10+ 2 इंटरमीडिएट उत्तीर्ण छात्र बी0ए0 प्रथम में प्रवेश हेतु अर्ह है।
3. संस्थागत छात्र अपने प्रधानाचार्य का तथा व्यक्तिगत छात्र किसी भी राजपत्रित अधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न करें।
4. प्रवेशार्थियों को आरक्षण की सुविधा उत्तराखंड शासनादेश के अनुसार अनुमन्य होगी।
5. सभी कक्षाओं में प्रवेश के लिए 90% सीटें उत्तराखंड के निवासियों के लिए होगी तथा 10% स्थान में ही वरीयता (मेरिट) के आधार पर राज्य के बाहर के छात्र/छात्राओं को प्रवेश दिया जा सकता है। स्थानान्तरण प्रवेश सिर्फ स्वास्थ्यगत कारण (CMO का प्रमाण पत्र) अथवा अभिभावक के स्थानान्तरण की स्थिति में दिया जा सकता है।
6. स्नातक स्तर पर 07 विषयों में अध्ययन करने की सुविधा है।
7. अनुर्त्तीण छात्र को प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
8. जिन छात्रों की गतिविधियां नियंता मंडल/प्रशासन की राय में अवांछनीय है, उन्हें प्रवेश लेने से रोका जा सकता है या निकाला जा सकता है अथवा प्रवेश निरस्त किया जा सकता है। न्यायालय द्वारा दंडित अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
9. अनुचित साधन के अंतर्गत दंडित छात्र/छात्राओं को प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
10. शैक्षिक कैलेंडर सभी महाविद्यालयों के लिए समान लागू होता है।
11. उत्तराखण्ड प्रदेश छात्रों के अतिरिक्त अन्य प्रदेशों के छात्रों को प्रवेश के पूर्व पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
12. इंटरमीडिएट के बाद 2 वर्ष से अधिक अंतराल वाले अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। 2 वर्ष के अन्तराल हेतु शपथ पत्र देना होगा।
13. छात्र/छात्राओं को अपनी साइकिल, मोटरसाइकिल आदि सामान की स्वयं सुरक्षा करनी है। छात्र–छात्राओं के वाहन की सुरक्षा की जिम्मेदारी महाविद्यालय प्रशासन की नहीं होगी।

छात्रवृत्तियां

निम्नलिखित छात्रवृत्तियां छात्र–छात्राओं के लिए उपलब्ध है–

1. **अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति**– माता–पिता/अभिभावक की वार्षिक आय 2 लाख रुपये तक होने पर पूर्ण छात्रवृत्ति ।
2. **अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति–** माता–पिता/अभिभावक की वार्षिक आय 2 लाख रुपये तक होने पर पूर्ण छात्रवृत्ति।
3. **पिछड़ी जाति छात्रवृत्ति**– माता–पिता/अभिभावक की वार्षिक आय 1 लाख रुपय तक होने पर पूर्ण छात्रवृत्ति ।
4. **विकालांग छात्रवृत्ति**– विकालांगता प्रतिशतता के आधर पर सभी विकलांग को देय छात्रवृत्तियॉ।

अनुशासन

1. नियंता मण्डल महाविद्यालय में अनुशासन बनाए रखने के लिए अधिकृत हैं, किसी भी छात्र/छात्रा द्वारा अनुचित व्यवहार व किसी नियम का उल्लंघन करने पर नियंता मण्डल को अधिकार है कि वह छात्र/छात्रा के विरुद्ध उचित अनुशासनात्मक कार्यवाही करे। दुर्व्यवहार करने वाले छात्र के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही इसलिए भी आवश्यक हो जाती है, जिससे महाविद्यालय का वातावरण दूषित न हो एवं शांति भंग न हो।

मुख्य अपराध

1. महाविद्यालय के अधिकारियों, कर्मचारियों के प्रति वचन एवं कर्म द्वारा निरादर करना एवं सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करना।
2. महाविद्यालय में आये अतिथियों के प्रति अभद्र एवं निरादर प्रदर्शित करना।
3. जाली हस्ताक्षर, जाली या झूठे प्रमाण पत्र एवं झूठा बयान प्रस्तुत करना है।
4. रैगिंग करना या उसके लिए प्रेरित करना उच्चतम न्यायालय द्वारा रैगिंग को जघन्य एवं दण्डनीय अपराध घोषित किया जा चुका है। रैगिंग में संलिप्तता की दशा में कठोरतम कार्यवाही, जुर्माना व न्यायालय में मुकदमा चलाया जा सकता है।
5. महाविद्यालय परिसर में किसी राजनीतिक या साम्प्रदायिक विचारधारा का प्रचार प्रसार या प्रदर्शन करना।
6. उक्त के अतिरिक्त ऐसा कोई भी कृत्य जिससे महाविद्यालय की गरिमा को नुकसान हो।

बी0ए0 त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम उपलब्ध विषय

1. हिंदी 2. अंग्रेजी 3.इतिहास 4.अर्थशास्त्र 5.राजनीतिशास्त्र 6. समाजशास्त्र 7.संगीत, श्रीदेवसुमन विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क परीक्षा आवेदन फार्म के साथ ऑनलाइन जमा किया जायेगा।

   नोटः— बी0ए0 प्रथम वर्ष 2022—23 में कुल प्रवेश सीटों का निर्धारण यू0जी0सी0 के मानकों के अनुसार होगा।

निषेध—

1.महाविद्यालय परिसर में या कक्षा में धूम्रपान मादक पदार्थों का सेवन।

2. कमरों, दीवारों, दरवाजों आदि पर लिखना, विज्ञापन, इश्तहार लगाना वर्जित।
3. महाविद्यालय परिसर में च्युगम, पान—मसाला, मोबाइल फोन, चाकू, धारदार हथियार, अन्य शस्त्र रखना वर्जित है।
4. महाविद्यालय द्वारा निर्धारित परिधान के अतिरिक्त।
5. बिना परिचय पत्र के छात्र छात्राओं का प्रवेश निषेध होगा। अनुशासन मण्डल द्वारा मांगे जाने पर छात्र—छात्राओं द्वारा परिचय पत्र दिखाना अनिवार्य होगा।

शपथ पत्र

प्रत्येक सीनियर छात्र छात्रा के द्वारा एन्टी रैगिंग **शपथ पत्र** अनिवार्य रुप से जमा किया जाएगा।

एन्टी रैगिंग **शपथ पत्र** हेतु www.amanmovement.org लॉग ऑन करें तथा समस्त प्रविष्टियां ऑनलाइन पूर्ण करने के पश्चात उपलब्ध फार्म को प्रिंट करके अपने तथा अपने अभिभावक के अलग—अलग फार्म पर हस्ताक्षर करने के उपरान्त प्रवेश के समय इस शपथ पत्र को जमा करें।

महाविद्यालय में कार्यरत अधिकारी, प्राध्यापक, शिक्षणेत्तर कर्मचारी एवं रिक्त पद

1	डॉ0 दलीप सिंह	प्राचार्य
2	डॉ0 तीर्थ प्रकाश	एसोसिएट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान
3	रिक्त	असिस्टेन्ट प्रोफेसर संगीत
4	डॉ0 प्रज्ञा राजवंशी	असिस्टेन्ट प्रोफेसर अंग्रेजी
5	रिक्त	असिस्टेन्ट प्रोफेसर हिंदी
6	डॉ0 अनुराग	असिस्टेन्ट प्रोफेसर इतिहास
7	डॉ0 रचना वत्स	असिस्टेन्ट प्रोफेसर अर्थशास्त्र
8	डॉ0दीपा शर्मा	असिस्टेन्ट प्रोफेसर समाजशास्त्र
9	श्रीमती सरमिष्ठा देवी	सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष
10	रिक्त	प्रधान सहायक
11	रिक्त	वरिष्ठ सहायक
12	रिक्त	पुस्तकालय लिपिक
13	श्रीमती गीता जोशी	कनिष्ठ सहायक
14	श्री फैजान अली	बुक लिफ्टर
15	श्री सूर्य प्रकाश	अनुसेवक कार्यालय
16	श्री रोहित	अनुसेवक कार्यालय
17	श्री जगपाल	चौकीदार/स्वच्छक
18	श्री सन्नी	चौकीदार/स्वच्छक

वार्षिक शुल्क (परिवर्तनीय)

	कोषागार निधियाँ	
क्रम	**मद**	**धनराशि**
1	प्रवेश शुल्क	**03.00**
2	पुस्तकालय शुल्क	**03.00**
3	पंखा शुल्क	**05.00**
4	विकास शुल्क	**20.00**
5	महंगाई शुल्क	**240.00**
6	प्रयोगशाला शुल्क	**240.00**
	छात्रनिधियाँ	
7	क्रीड़ा शुल्क	**240.00**
8	महाविद्यालय दिवस	**20.00**
9	महाविद्यालय विकास	**600.00**
10	वाचनालय	**30.00**
11	सांस्कृतिक परिषद	**50.00**
12	परिचय पत्र	**25.00**
13	निर्धन छात्र शुल्क	**10.00**
14	विभागीय परिषद	**50.00**
15	छात्र संघ	**50.00**
16	छात्र विद्युत/जल	**60.00**
17	पत्रिका शुल्क	**50.00**
18	विविध शुल्क	**100.00**
19	अभिभावक शिक्षक संघ	**50.00**
20	प्रयोगात्मक सामाग्री	**60.00**
21	जनरेटर शुल्क	**50.00**
22	कम्प्यूटर इंटरनेट	**70.00**
23	प्रांगण विकास शुल्क	**20.00**
24	कैरियर काउंसलिंग	**30.00**
25	प्रसाधन शुल्क	**50.00**
26	आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा	--
27	विश्वविद्यालय परीक्षा	वि0वि0 के निर्देशानुसार
28	नामांकन शुल्क	वि0वि0 के नये छात्रों हेतु

मिशन

1. जनपद हरिद्वार के ग्रामीण एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के विद्यार्थियों हेतु उच्चशिक्षा के समुचित अवसर देना।
2. समय एवं बाजार की मांग के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रणाली का सृजन करना जिससे विद्यार्थियों में रोजगार तथा स्वरोजगार प्राप्ति के प्रति जागरुकता बढ़े तथा सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वहन की भावना पैदा हो।
3. उच्च शिक्षा के लिये छात्र/छात्राओं को प्रोत्साहित करना तथा उनमें नेतृत्व क्षमता एवं आत्मविश्वास पैदा कर राज्य एवं राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार करना।
4. महाविद्यालय परिसर में अध्ययन, अध्यापन, शोध तथा अनुसंधान का विकास करना।